संख्या:9/2026/154/कृशिअ-67-1099/258/2019

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक 03 फरवरी, 2026**

विषय: आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय(कैम्पस), गोण्डा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:01/पी0एस0-वी0सी0/2026/637, दिनांक 19.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस), गोण्डा के निर्माण हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस), गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित आंकलित/अनुमोदित लागत (2806.74+1268.90=4075.63) रू0 4075.63 लाख के सापेक्ष निविदित्त लागत रू0 3910.53 लाख (रूपये उन्तालीस करोड़ दस लाख तिरपन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदित्त लागत रू0 3910.53 लाख में से 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 195.53 लाख को रोकते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 406.74 के सापेक्ष परियोजना में अवशेष अन्तर धनराशि रू0 235.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:46/2025/3494090/1305/कृशिअ-67-1099/258/2019, दिनांक 27.07.2025 द्वारा निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना में 05 प्रतिशत की रोकी गयी धनराशि रू0 195.53 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि से अवशेष धनराशि रू0 171.62 लाख (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों,

1. प्रश्नगत परियोजना में निविदित्त लागत के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए निर्गत की जा रही है, अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पूर्ण तथा हस्तान्तरित होने पर अवमुक्त की जायेगी।
2. परियोजना में अनुमोदित लागत के सापेक्ष निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आयी हो तो, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
3. प्रायोजनान्तर्गत दिनांक 18.07.2022 के उपरान्त कराये गये कार्यों पर के पूर्व कराये गये कार्यों पर 12 प्रतिशत तथा 18.07.2022 के उपरान्त कराये गये कार्यों पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
4. प्रायोजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर, डी०जी०सेट तथा फर्नीशिंग कार्य का प्राविधान किया है। इनके कियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अतः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विश्वविद्यालय से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

5. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
6. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादित, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथामानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्य कार्यदायी संस्था का होगा।
9. शासन द्वारा स्वीकृति आगणन के अनुसार अधिकृत कार्यदायी संस्था से ही कार्य सम्पादित किया जायेगा।
10. निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत शासनादेशों /नियमों के अनुसार ही किया जाये।
11. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।
12. परियोजना में स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा तथा परियोजना में विश्वविद्यालय के स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
13. उक्त अनुदान का देयक आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक को जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,71,62,000 (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802772818 कृषि महाविद्यालय कैम्पस, गोण्डा की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज
3. जिलाधिकारी, अयोध्या / कोषाधिकारी, अयोध्या ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
6. सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर,लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ /अयोध्या ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।